भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2373
10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः जलवायु और फसल प्रबंधन की जानकारी

2373. श्री विष्णु दयाल रामः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने जिला स्तरीय आकस्मिक योजनाओं (डीएसीपी) के माध्यम से कृषि में जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए आईसीएआर द्वारा की गई सिफारिशों का संज्ञान लिया है;
(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों और किसानों के बीच स्थान-विशिष्ट जलवायु-अनुकूल फसलों, किस्मों और प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को जलवायु और फसल प्रबंधन संबंधी सूचना समय पर प्राप्त हो, प्रौद्योगिकी आधारित पहलों का कार्यान्वयन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): जी हां, सरकार ने जिला कृषि आकस्मिक योजनाओं (डीएसीपी) के माध्यम से कृषि में जलवायु अनुकूलता बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा की गई सिफारिशों का संज्ञान लिया है। आईसीएआर राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है जो फसल, पशुधन, बागवानी और मत्स्य पालन सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करता है। यह जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को भी विकसित और बढ़ावा देता है जो सूखे, बाढ़, ठंढ, लू आदि जैसी विषम मौसम परिस्थिति से निपटने के लिए क्षेत्रों की सहायता करता है। पिछले 10 वर्षों (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान, आईसीएआर द्वारा कुल 2593 किस्में जारी की गई हैं, इनमें से 2177 किस्में एक या एक से अधिक जैविक और/या अजैविक तनावों के प्रति सहनशील पाई गई हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) प्रोटोकॉल के अनुसार 651 मुख्य रूप से कृषि जिलों के लिए जिला स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि के जोखिम और भेद्यता का आकलन किया गया है। संवेदनशील के रूप में चिन्हित किए गए 310 जिलों में से 109 जिलों को 'बहुत अधिक' और 201 जिलों को 'अत्यधिक' संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन 651 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिक योजनाएँ (डीएसीपी) भी मौसम की अनियमितता से निपटने और स्थान विशिष्ट जलवायु अनुकूल फसलों तथा किस्मों और प्रबंधन पद्धतियों की सिफारिश करने के लिए तैयार की गई हैं। जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति किसानों के सहिष्णुता और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए, एनआईसीआरए के तहत "जलवायु सह्य गांवों" (सीआरवी) की अवधारणा शुरू की गई है। किसानों द्वारा अपनाए जाने के लिए 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 151 जलवायु अनुकूल जिलों के 448 सीआरवी में स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया है। जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के उदेश्य से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

कृषि क्षेत्र में प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत कई योजनाएं शुरू की गई हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए वर्ष 2015-16 में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना शुरू की गई थी। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) योजना को वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। आरएडी उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर ध्यान केंद्रित करता है। बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच), कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन भी कृषि में जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के साथ-साथ मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर पैदावार न होने के एवज में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है और किसानों की आय को स्थिर करने और उनकी खेती की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करती है।

(ग) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) देश में कृषक समुदाय के लाभ के लिए विशेष रूप से ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (जीकेएमएस) योजना के रूप में एक प्रचालन कृषि-मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं (एएएस) संचालित करता है। इस योजना के अंतर्गत, आईएमडी द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर पर अगले 5 दिनों के लिए मध्यम अवधि के मौसम का पूर्वानुमान और साथ ही अगले सप्ताह के मौसम संबंधी उप-मंडलवार (सब डिविजन) वर्षा और तापमान का पूर्वानुमान तैयार किया जाता है। पूर्वानुमान के आधार पर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संस्थानों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में स्थित 130 कृषि मौसम क्षेत्र इकाइयां (एएमएफयू) अपने क्षेत्राधिकार के तहत ब्लॉक और जिलों के लिए प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को कृषि मौसम संबंधी परामर्श तैयार करती हैं और किसानों को कृषि-मौसम संबंधी परामर्श भेजती हैं। आईएमडी द्वारा संचालित किया जा रहा ए.ए.एस. मौसम आधारित फसल और पशुधन प्रबंधन कार्यनीतियों की दिशा में एक कदम है।

*****